उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-43/2017/475/पांच-8-2017-जी(285)/2016

लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2406/पॉच-8-2012-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 रणविजय सिंह, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर के अधीन की गई थी तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1268/पॉच-8-2012-म(270)/2012 टीसी-।।।, दिनांक 28-12-2012 द्वारा डा0 सिंह की तैनाती संशोधित कर मुख्य चिकित्साधिकारी, अमेठी के अधीन की गई। डा0 रणविजय सिंह द्वारा दिनांक 11-01-2013 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त डा0 सिंह का चयन पी0जी0 कोर्स (एम0डी0 पैथालॉजी) में होने के उपरान्त वे पी0जी0 कोर्स में अध्ययनरत हो गये। डा0 सिंह द्वारा पी0जी0 कोर्स (एम0डी0 पैथालॉजी) पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 25-10-2016 द्वारा पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अपर निदेशक(कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18फ/742/2012/1163, दिनांक 28-11-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 रणविजय सिंह चिकित्साधिकारी को डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ में एम0 डी0 पैथालॉजिस्ट के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 रणविजय सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 07-04-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

राम नगीना मौर्य

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-43/2017/475 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद/लखनऊ मण्डल।

5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ।

6- मुख्य चिकित्साधिकारी, अमेठी।

7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमेठी/लखनऊ।

8- संबंधित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि क़पया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-44/2017/334/पांच-8-2017-जी(285)/2016
लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-48एक/चि-3-09-05नियुक्ति/2009, दिनांक 11-02-2009 द्वारा डा0 बृजेश कुमार प्रजापति, चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के अधीन की गई थी। उक्त आदेश के क्रम में डा0 प्रजापति द्वारा दिनांक 25-02-2009 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त डा0 प्रजापति का चयन यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0, 2013 द्वारा प्रथम काउसन्लिंग के माध्यम से एल0एल0आर0आर0 मेडिकल कालेज, मेरठ में पी0जी0 कोर्स (एस0पी0एम0) में हो जाने के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3250/पॉच'-8-2013-म(112)/2012, दिनांक 01-10-2013 द्वारा पी0जी0 कोर्स हेतु अनापत्ति प्राप्त कर वे पी0जी0 कोर्स में अध्ययनरत हो गये। डा0 प्रजापति द्वारा पी0जी0 कोर्स (एम0डी0 पैथालॉजी) पूर्ण करने के उपरान्त पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या-चि0अ0/सूचना/2016/23422-1, दिनांक 22-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 बृजेश कुमार प्रजापति चिकित्साधिकारी को जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में एम0 डी0 पैथालॉजिस्ट के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 बृजेश कुमार प्रजापति को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 07-04-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

राम नगीना मौर्य
संयुक्त सचिव।

संख्या-44/2017/334(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।
3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर।
6 मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
8- संबंधित चिकित्साधिकारी।
9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।